संख्या- 88/859/बयालिस-2015-88(विविध)/2012

प्रेषक,

प्रेम शंकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर, 2015**

विषय- राजभवन परिसर स्थित सिविल सर्विसेज इन्स्ट्रीटयूट के वार्षिक/विशेष रख-रखाव हेतु पी0एल0ए0 में जमा धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1126/सी0एस0आई0 पत्रा0/2014-15, दिनांक 30 जनवरी, 2015 एवं पत्र संख्या- जी- 1377/सी0एस0आई0 पत्रा0/2014-15, दिनांक 25 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 434/बयालिस-2014-88(विविध)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2014 द्वारा राजभवन परिसर स्थित सिविल सर्विसेज इन्स्ट्रीटयूट के वार्षिक/विशेष रख-रखाव हेतु रू0 74.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 37.15 लाख अवमुक्त किया गया था। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 17,99,389.00 की धनराशि सिविल सर्विसेज इन्स्ट्रीटयूट के पास उपलब्ध होने के कारण उक्त सीमा तक धनराशि समर्पित करने के उपरान्त शासनादेश संख्या- 52/1317/ बयालिस-2015-88(विविध)/2012, दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा रू0 56.04 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी। प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 952/बयालिस-2014-88(विविध)/2012, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 37.15 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय होने के दृष्टिगत उक्त कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पी0एल0ए0 में रखी धनराशि रू0 37.15 लाख आहरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते है :-

(1)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं सम्परीक्षित लेखे अवश्य उपलब्ध कराये जाये।

(2)- उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि में से योजना की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि रू0 26,611.00/- राजकोष में जमा कराया जाये।

.....2

(2)- शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या- 434/बयालिस-2014-88(विविध)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 952/बयालिस-2014-88(विविध)/2012, दिनांक 31 मार्च, 2014, दिनांक 06.07.2015 के अनुसार यथावत रहेंगी।

(3)- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 1282/दस-2015, दिनांक : 02 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रेम शंकर
विशेष सचिव।

संख्या- 88/859(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।